न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) अपील डिक्री/टीए/3224/2004/चित्तौड़गढ़

1– श्री परसराम महादेव स्थान नारेला जरिये पुजारी/उपासक लालू पुत्र जगन्नाथ भारती मृतक जरिये वारिसान :–
1/1. मु. सोसर बाई बेवा लालू भारती
1/2. नारायण भारती पुत्र लालू भारती
1/3. कैलाश भारती पुत्र लालू भारती, निवासी ग्राम नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

------ वादी/अपीलांट

बनाम

1– भगवानलाल पुत्र स्व0 चुन्नीलाल अहीर
2– सीताराम पुत्र स्व0 चुन्नीलाल अहीर
3– गंगाबाई पत्नी स्व0 चुन्नीलाल अहीर
4– सुन्दरबाई पुत्री स्व0 चुन्नीलाल अहीर, निवासी ग्राम नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
6– प्यार चन्द पुत्र मोती अहीर
7– सोहन पुत्र मोती अहीर
8– माधु पुत्र मोती अहीर नाबालिग जरिये माता मु0 गंगा पत्नी मोती अहीर
9– मु0 गंगा पत्नी मोती अहीर
10– मु0 रतनी पुत्री मोती अहीर
11– मु0 श्यामू पुत्री मोती अहीर नाबालिग जरिये माता मु0 गंगा पत्नी मोती अहीर
12– रतन पुत्र गोकल अहीर, निवासी ग्राम नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
13– मु0 सोवनी पुत्री गोकल अहीर, निवासी पुरोहितों का सांवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

------ प्रतिवादी/रेस्पो0

(2) अपील डिक्री/टीए/3363/2004/चित्तौड़गढ़

1– श्री परसराम महादेव स्थान नारेला जरिये पुजारी/उपासक लालू पुत्र जगन्नाथ भारती मृतक जरिये वारिसान :–
1/1. मु. सोसर बाई बेवा लालू भारती
1/2. नारायण भारती पुत्र लालू भारती
1/3. कैलाश भारती पुत्र लालू भारती, निवासी ग्राम नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

------ वादी/अपीलांट

अपील डिक्री/टीए/3224/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल
अपील डिक्री/टीए/3363/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल

बनाम

1– भगवानलाल पुत्र स्व0 चुन्नीलाल अहीर
2– सीताराम पुत्र स्व0 चुन्नीलाल अहीर
3– गंगाबाई पत्नी स्व0 चुन्नीलाल अहीर
4– सुन्दरबाई पुत्री स्व0 चुन्नीलाल अहीर, निवासी ग्राम नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
6– प्यार चन्द पुत्र मोती अहीर
7– सोहन पुत्र मोती अहीर
8– माधु पुत्र मोती अहीर नाबालिग जरिये माता मु0 गंगा पत्नी मोती अहीर
9– मु0 गंगा पत्नी मोती अहीर
10– मु0 रतनी पुत्री मोती अहीर
11– मु0 श्यामू पुत्री मोती अहीर नाबालिग जरिये माता मु0 गंगा पत्नी मोती अहीर
12– रतन पुत्र गोकल अहीर, निवासी ग्राम नारेला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
13– मु0 सोवनी पुत्री गोकल अहीर, निवासी पुरोहितों का सांवता, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

------ प्रतिवादी/रेस्पो0

<u>दोनों में उपस्थित</u>
(1) श्री अशोक नाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री रामसुख चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 6 ल0 13

खण्ड पीठ
हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
गौरव बजाड़, सदस्य

निर्णय

दिनांक :– 25.02.2026

अपीलांट द्वारा यह दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ की अपील संख्या 81/2001 एवं 101/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2– दोनों अपीलों में पक्षकार, विचारणीय बिन्दु समान होने व विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दोनों प्रकरणों में एक साथ बहस किये जाने के कारण

अपील डिक्री/टीए/3224/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल
अपील डिक्री/टीए/3363/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल

इस न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का एक निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है।

3– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष दो वाद अन्तर्गत धारा 188 एवं 208 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय के पेश किये गये हैं कि ग्राम नारेला में श्री परसराम महादेव स्थान का देवालय है जो हिन्दू धर्मावलम्बियों का आस्था केन्द्र है। वादी इस देवालय की मूर्ति–धूणी का कदीम से पुजारी और उपासक है। ग्राम नारेला में स्थित आराजी खसरा नं0 1489 से 1493, 1498, 1499 कुल किता 7 रकबा 1.44 है0 भूमि मेवाड़ रियासत के वक्त से मंदिर खाते की है। प्रतिवादीगण द्वारा मंदिर की उक्त भूमि पर बतौर सिजारी काश्त की थी परन्तु लंबे समय से ही पुजारी द्वारा सिजारे की व्यवस्था समाप्त कर स्वयं काश्त करने लग गये जो वर्तमान में भी निरन्तर है। प्रतिवादीगण गाँव के मुखिया होकर प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने ठिकाने का सहारा लेकर कुछ समय से वादग्रस्त आराजी में अपना उपकृषक के रूप में नाम होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाने लगे और मवेशी चराने लगे। वादी के पुजारियान व उपकृषक के रूप में दर्ज नाम को नामान्तरकरण सं0 140 दिनांक 24–03–1992 से हटा दिया गया। अतः वाद वादी स्वीकार कर वादपत्र की चरण सं0 2 में उल्लेखित कृषि भूमि रकबा 1.44 है0 पर कब्जे काश्त वादीगण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दखलअंदाजी नहीं करने हेतु निषेधात्मक डिक्री जारी की जावे। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। वादी द्वारा दिनांक 28–01–1999 को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी मूर्ति की भूमि पर किसी को अधिकार उत्पन्न नहीं होने से काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2001 से प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए वाद वादी एवं

प्रतिवादी सं0 1 व 2 का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया गया है। इसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत की। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2004 से पुनरावेदन क्रमांक 81/2001 भगवाना बनाम परसराम एवं 101/2001 परसराम बनाम भगवाना आंशिक रूप से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2001 को निरस्त किया गया है। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2004 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दो पृथक–पृथक अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

4– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपीलों पर सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिये हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एव डिक्री न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर तनकी संख्या 1 निर्मित की। जिसमें वादी को यह साबित करना था कि वादग्रस्त भूमि श्री परसराम महादेव के खातेदारी की होकर लालू भारती व्यवस्थापक पुजारी की है। उक्त तनकी को साबित कराने हेतु न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी शहादत में प्रदर्श– नकल खतौनी संख्या 358 सम्वत् 2048 से 2051 प्रस्तुत की। जिसमें वादग्रस्त भूमि मंदिर के खाते में होने से विचारण न्यायालय द्धारा वादग्रस्त भूमि को मंदिर की खाते की साबित होना माना, परन्तु लालू भारती को पुजारी एवं व्यवस्थापक होना स्वीकार नहीं किया। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी के तहत् विचाराधीन दोनों बिन्दुओं को ही वादी के विरुद्ध माना। इस सम्बन्ध में वादी का कथन है कि जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को मंदिर मूर्ति के खातेदारी की मानी यह सही है. परन्तु विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्धारा अविधिक तौर पर उक्त तनकी के निर्णय में तनकी संख्या 5 के तथ्यों का समावेश करते हुए वादग्रस्त भूमि को मंदिर के खातेदारी की नहीं होना मानने में भूल की है, क्योंकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध शहादत से बखूबी साबित था कि वादग्रस्त भूमि मंदिर के खाते में अकित है। अब यह द्वितीय विषय है कि

मंदिर के खाते की भूमि में प्रतिवादीगण को खातेदारी हक प्राप्त होते है या नहीं। उक्त तथ्य तनकी संख्या 5 की विषय वस्तु है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का उक्त निष्कर्ष पूर्णतया अविधिक होकर गलत है। जहां तक दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस विन्दु पर निर्णय पारित किया है कि लालू भारती का ना तो पुजारी होना एवं ना ही व्यवस्थापक होना साबित है. उक्त फाईण्डिंग पूर्णतया गलत है क्योंकि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्धारा उक्त फाइण्डिंग मात्र राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर पुजारी का नाम विलोपित करने से लिया है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का तर्क है कि लालू भारती एवं उसके पूर्वज मंदिर एवं उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर काश्त की जाती है तो भी वह उस मूर्ति की ही काश्त मानी जायेगी, जबकि वास्तव में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बतौर सिजारी कुछ अर्से तक काश्त की थी, परन्तु लम्बे समय पूर्व से ही वादी ने उक्त सिजारे की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उसके उपरान्त पुजारी एवं व्यवस्थापक ही उक्त भूमि पर काश्त की व्यवस्था स्वयं अथवा मजदूरों द्वारा करवाते थे। जब वादग्रस्त भूमि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की है एवं पूर्व में वर्णितानुसार कब्जा भी मूर्ति का ही है तो ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत तौर पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त तनकी को निर्णित करते हुए उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने सम्बन्धी आदेश दिया था, जो पूर्णतया न्यायोचित एवं विधिसम्मत था। जब मंदिर की समस्त देखभाल पूजा अर्चना एवं व्यवस्था लालू भारती अपीलांट द्वारा ही की जा रही है तो फिर उक्त समस्त कार्यवाही हेतु एक मात्र जो आय स्त्रोत है उसका कब्जा अगर लालू भारती द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है तो वह किस प्रकार से मूर्ति की भोग व्यवस्था करेगा एवं उक्त व्यवस्था उपरान्त बची फसल से वह अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह भी करता है। उक्त समस्त के लिए मूर्ति की खातेदारी भूमि का कब्जा उसको दिलाया जाना अत्यावश्यक एवं न्यायहित में है। यहां तक कि वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण के पास किसी भी सूरत में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह प्रारम्भ से ही वादग्रस्त भूमि पर मंदिर के हक एवं अधिकारों के कथन से इन्कार करते आ रहे हैं। इसलिए जिस व्यक्ति द्धारा मूर्ति के हकूकों को ही नहीं माना जा रहा है, उसके पक्ष में ही

कब्जा बनाये रखे जानें का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह निरस्तनीय है। अर्थात् जब न्यायालय द्वारा मंदिर की ओर से आधे हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी वादी लालू भारती को मान लिया तो फिर उनके द्वारा तनकी सख्या 3 का जो निर्णय प्रदान किया गया है वह पूर्णतया विरोधाभासी है क्योंकि यह किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति को आधी भूमि के लिए हकदार मान लिया जावे और आधी के लिए नहीं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण स्थिति अनुसार एवं कानून के अनुसार बिना किसी प्रकार का विवेचन एवं विश्लेषण किये सरसरी तौर पर मंदिर के हकों की अनदेखी करते हुए प्रतिवादीगण को लाभ पहुंचाने की गरज से जो निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं. वे अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 4 जिसमें कि न्यायालय को यह तय करना था कि ''आया पुजारी को वाद लाने का अधिकार नहीं है।'' उक्त तनकी को साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर आरोपित किया गया था। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तनकी को मात्र प्रतिवादीगण के पक्ष में इस आधार पर निर्णित करने में कानूनी त्रुटि की है कि राजस्व अभिलेख से पुजारी का नाम हटाया जा चुका है और मूर्ति की रक्षा करने हेतु सक्षम देवस्थान विभाग ही है। इस सम्बन्ध में वादी–अपीलांट की ओर से सर्व प्रथम जहां तक विधिक स्थिति का प्रश्न है तो वह यह है कि कानूनन मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है तथा मूर्ति के हक एवं अधिकारों के विपरीत किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसकी रक्षार्थ मूर्ति मंदिर का कोई भी उपासक, पुजारी अथवा व्यवस्थापक मूर्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है चूंकि मौजूदा प्रकरण में तो मूर्ति की ओर से वाद लालू भारती की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो कि मूर्ति परसराम जी को अपने पूर्वजों के समय से पुजारी एवं व्यवस्थापक चला आ रहा है तथा वही मूर्ति की सेवा–पूजा एवं भोग आदि की व्यवस्था करता चला आ रहा है. केवल राजस्व रिकार्ड में मंदिर के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों के नाम कलमजन अथवा विलोपित कर देने के आधार पर किसी भी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि पूर्वजों से चले आ रहे पुजारी एवं व्यवस्थापक को हटा दिया गया है,

वरन् वास्तव में अभिलेख में नाम हटाया जाने से वास्तविकता में उनको हटा दिया गया, नहीं माना जा सकता और उनको हटाया भी नहीं गया है। अभिलेख में नाम हटाये जाने के उपरान्त भी वही मंदिर की सेवा पूजा एव भोग व्यवस्था करता चला आ रहा है। इसलिए उसे मूर्ति मंदिर की ओर से दावा लाने का पूर्ण अधिकार है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन है कि इस सम्बन्ध में देवस्थान विभाग ही कार्यवाही कर सकता है, पूर्णतया गलत है। अपीलांट का इस सम्बन्ध में निवेदन है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय यह मानते थे कि मौजूदा प्रकरण में देवस्थान विभाग आवश्यक पक्षकार है तो उन्हें मूर्ति के हितों की रक्षार्थ स्वयं देवस्थान विभाग को पक्षकार बना लेना चाहिए था परन्तु देवस्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाये जाने की आड़ में प्रतिवादीगण जिन्होंने कि मूर्ति के हक, अधिकारों से इन्कार किया है को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर प्रतिवादीगण को ही लाभ पहुंचा है और एक मूर्ति की भूमि पर उनके हक, अधिकारों को सुनिश्चित किया है, जो पूर्णतया अविधिक है। तनकी संख्या 5 जो कि इस प्रकार से निर्मित की गई थी कि ''आया मुतदाविया आराजीयात प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की है काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खातेदार हो गए हैं व खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।'' उक्त तनकी परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम के आधार पर निर्मित की गई थी। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तनकी के सम्बन्ध में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक शहादत का गहनता से विवेचन करने के उपरान्त यह माना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मूर्ति मंदिर को शाश्वत नाबालिग मानते हुए विशेष तौर पर सुरक्षा प्रदान की है जिसमें अब प्रावधित किया गया है कि मूर्ति की भूमि पर किसी को भी, किसी भी परिस्थिति में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गयी परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से उक्त तनकी पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को पलटते हुए मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को खातेदारी हक अधिकार प्रदान कर

दिये, जो कि पूर्णतया अविधिक है एवं उक्त तनकी को निर्णित करने का अधीनस्थ न्यायालय ने जिन विधिक दृष्टातों का सहारा लिया है उक्त विधिक दृष्टात पूर्णतया विधिक स्थिति के प्रतिकूल हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मान लिया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी को भी खातेदारी अधिकार, किसी भी परिस्थिति में प्राप्त नहीं होगें। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति स्पष्ट कर देने के उपरान्त अब कानून में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता शेष नहीं रह जाती है। फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित इस सुस्थापित विधिक स्थिति के प्रतिकूल जाकर एवं धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के प्रतिकूल नाबालिग मंदिर मूर्ति की भूमि पर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने में विधिक त्रुटि की है। इसी आधार पर निर्णय एवं डिक्री अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट की दोनों अपीलें स्वीकार फरमायी जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2004 को निरस्त किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया जावें।

6– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के तर्कों का विरोध करते हुए बहस में तर्क दिये हैं कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी/रेस्पो0 के खइमदारी में है जिसका अपीलांट परसराम जी स्थान देह से कोई संबंध नहीं है। जागीर अधिग्रहण के समय प्रतिवादी/रेस्पो0 खड़मदार थे। इसलिए जागीर अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रतिवादी/रेस्पो0 जागीर अधिग्रहण के साथ ही खातेदार हो गये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने पर धारा 15 के अन्तर्गत प्रतिवादी/रेस्पो0 खातेदार होकर भूमि उनके कब्जे काश्त में है। विचारण न्यायालय द्वारा अविधिक निर्णय व डिक्री जारी किये जाने के उपरान्त अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलें विधिसम्मत् रूप से स्वीकार की गयी है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट की दोनों अपीलें खारिज की जावें।

अपील डिक्री/टीए/3224/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल
अपील डिक्री/टीए/3363/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी गयी बहस पर मनन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं परिशीलन किया।

8– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 एवं 208 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय के पेश किये गये है कि ग्राम नारेला में श्री परसराम महादेव स्थान का देवालय है जो हिन्दू धर्मावलम्बियों का आस्था केन्द्र है। वादी इस देवालय की मूर्ति–धूणी का कदीम से पुजारी और उपासक है। ग्राम नारेला में स्थित आराजी खसरा नं0 1489 से 1493, 1498, 1499 कुल किता 7 रकबा 1.44 है0 भूमि मेवाड़ रियासत के वक्त से मंदिर खाते की है। प्रतिवादीगण द्वारा मंदिर की उक्त भूमि पर बतौर सिजारी काश्त की थी परन्तु लंबे समय से पुजारी द्वारा सिजारे की व्यवस्था समाप्त कर स्वयं काश्त करने लग गये जो वर्तमान में भी निरन्तर है। प्रतिवादीगण गाँव के मुखिया होकर प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने ठिकाने का सहारा लेकर कुछ समय से वादग्रस्त आराजी में अपना उपकृषक के रूप में नाम होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाने लगे और मवेशी चराने लगे। वादी के पुजारियान व उपकृषक के रूप में दर्ज नाम को नामान्तरकरण सं0 140 दिनांक 24–03–1992 से हटा दिया गया। अतः वाद वादी स्वीकार कर वादपत्र की चरण सं0 2 में उल्लेखित कृषि भूमि रकबा 1.44 है0 पर कब्जे काश्त वादीगण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दखलअंदाजी नहीं करने हेतु निषेधात्मक डिक्री जारी की जावे। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। वादी द्वारा दिनांक 28–01–1999 को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी मूर्ति की भूमि पर किसी को अधिकार उत्पन्न नहीं होने से काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2001 से प्रकरण में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर

तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए वाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया गया है। इसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत की। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2004 से पुनरावेदन क्रमांक 81/2001 भगवाना बनाम परसराम एवं 101/2001 परसराम बनाम भगवाना आंशिक रूप से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2001 को निरस्त किया गया है।

9– विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय व डिक्री में उल्लेखित किया है कि दस्तावेजी शहादत में प्रदर्श– नकल खतौनी संख्या 358 सम्वत् 2048 से 2051 प्रस्तुत की। जिसमें वादग्रस्त भूमि मंदिर के खाते की साबित होना माना है, परन्तु लालू भारती को पुजारी एवं व्यवस्थापक होना स्वीकार नहीं किया है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकी के तहत् विचाराधीन दोनों बिन्दुओं को ही वादी के विरुद्ध माना है। इस सम्बन्ध में वादी/अपीलांट का कथन है कि जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को मंदिर मूर्ति के खातेदारी की मानी है यह सही है. परन्तु विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अविधिक तौर पर उक्त तनकी के निर्णय में तनकी संख्या 5 के तथ्यों का समावेश करते हुए वादग्रस्त भूमि को मंदिर के खातेदारी की नहीं होना मानने में विधिक त्रुटि की है, क्योंकि रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों व शहादत से यह बखूबी साबित था कि वादग्रस्त भूमि मंदिर के खाते में अंकित है। द्वितीय महत्वपूर्व विधिक बिन्दू यह है कि मंदिर के खाते की भूमि में प्रतिवादीगण को खातेदारी हक प्राप्त हो सकते हैं अथवा नहीं? उक्त तथ्यों की विषयवस्तु तनकी संख्या 5 में है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का उक्त निष्कर्ष पूर्णतया अविधिक है। जहां तक दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस विन्दु पर निर्णय पारित किया है कि लालू भारती का ना तो पुजारी होना एवं ना ही व्यवस्थापक होना साबित है। यह फाईण्डिंग पूर्णतया गलत है क्योंकि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह फाइण्डिंग मात्र राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर पुजारी का नाम विलोपित करने से लिया गया है।

अपील डिक्री/टीए/3224/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल
अपील डिक्री/टीए/3363/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल

10– इस सम्बन्ध में अपीलार्थी का तर्क है कि लालू भारती एवं उसके पूर्वज, मंदिर एवं उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर काश्त की जाती है तो भी वह उस मूर्ति की ही काश्त मानी जायेगी, जबकि वास्तव में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बतौर सिजारी कुछ अर्से तक ही काश्त की थी परन्तु लम्बे समय पूर्व ही वादी/अपीलांट द्वारा उक्त सिजारे व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उसके उपरान्त पुजारी एवं व्यवस्थापक ही उक्त भूमि पर काश्त की व्यवस्था स्वयं अथवा मजदूरों द्वारा करवाते थे। जब वादग्रस्त भूमि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की है। उपरोक्त वर्णितानुसार कब्जा भी मूर्ति का ही है तो ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत तौर पर ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त तनकी को निर्णित करते हुए उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने सम्बन्धी आदेश दिया था, जो पूर्णतया न्यायोचित एवं विधिसम्मत था। जब मंदिर की समस्त देखभाल पूजा अर्चना एवं व्यवस्था लालू भारती अपीलांट द्वारा ही की जा रही है तो फिर उक्त समस्त कार्यवाही हेतु एक मात्र जो आय स्त्रोत है उसका कब्जा अगर लालू भारती द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है तो वह किस प्रकार से मूर्ति की भोग व्यवस्था करेगा। वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पास किसी भी सूरत में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वह प्रारम्भ से ही वादग्रस्त भूमि पर मंदिर के हक एवं अधिकारों को इन्कार करते आ रहे हैं। इसलिए जिस व्यक्ति द्वारा मूर्ति के हकूकों को ही नहीं माना जा रहा है उसके ही पक्ष में कब्जा बनाये रखे जानें का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नहीं होकर निरस्तनीय है। जब न्यायालय द्वारा मंदिर की ओर से आधे हिस्से की भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी वादी लालू भारती को मान लिया है तो फिर उनके द्वारा तनकी सख्या 3 का जो निर्णय पारित किया गया है वह पूर्णतया विरोधाभासी है क्योंकि यह किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति को आधी भूमि के लिए हकदार मान लिया जावे और आधी के लिए नहीं।

11– विभिन्न न्याय दृष्टान्तों में बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होने के कारण

उनके नाम की भूमि पर किसी भी प्रकार से खेती का कार्य करने पर भी खातेदार नहीं बन सकते हैं।

12- इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 2002 आर0आर0टी0 पेज 604 में भी प्रतिपादित किया गया है कि -

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 46 - Land given to Mahant for Bhog-Raaj of diety by the then Ruler Land could not be recorded in name of Mahant/Pujari as khudkast and no tenancy rights accrue to them. Reference made by Collector rightly allowed and righly ordered to record the land in the name of diety.

following alue in execution

13- 1995 आर0आर0डी0 पेज 418 में उद्धरित किया गया है कि -

(B) Rajasthan Tenancy Act, Sections 5(25), 45(4), 46(1) (e), 180 (1)(b) & 183- After resumption of muafi land belonging to the temple is khudkasht land Murti Mandir is a perpetual minor, subtenancy does not accrue to the tenant. Suit for eviction will lie u/s 183-Murti Mandir is a perpetual minor and a juristic person incapable of cultivating the land. Land held by idol is khud kasht by virtue of resumption of muafi land and Section 5(25) of the R.T. Act- Sub tenancy rights do not accrue to the Pujari, Shebayat, Manager, Kartano red labour-Protection is provided under sections 45(4) and 46(1)(c) - Admission in a suit by Mandir against law is not valid. There can be no estoppel against the statute. Principles of holding over do not apply on khudkasht land belonging to the idol and the tenant cultivating the land will be a trespasser if possession not handed over after refusal by the Mandir however old may be the possession. Period of limitation of one year or three years does not count in such

khudkasht land because suit will not lie u/s 180 (1) (b)- Suit for eviction and possession will lie u/s 183 and not u/s 180 (1) (b).

14– उपरोक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया हैं कि मूर्ति मन्दिर की आराजी पर किसी को, किसी भी परिस्थिति में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति को स्पष्ट कर देने के उपरान्त अब कानून में किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता (Ambiguity) शेष नहीं रह जाती है फिर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सुस्थापित सिद्धान्त के एवं धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के प्रतिकूल जाकर मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) की भूमि पर रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं जो कि सुस्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना की श्रेणी में आते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण स्थिति एवं बिना किसी प्रकार का विधिक विवेचन एवं विश्लेषण किये सरसरी तौर पर मंदिर मूर्ति के हकों की अनदेखी करते हुए रेस्पो0 को अविधिक रूप से लाभ पहुँचाने की नियत से जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, वह विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्तनीय हैं। विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री जारी की गयी है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

15– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट की दोनों अपीलें **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2004 को निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2001 की पुष्टि की जाती है।

16– हस्ताक्षरित निर्णय की पृथक–पृथक प्रतियाँ दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

अपील डिक्री/टीए/3224/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल
अपील डिक्री/टीए/3363/2004/चित्तौड़गढ़
परसराम महादेव बनाम भगवान लाल

17– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष